तारीख
हुक्म

किया जाकर जवाब की एक प्रति प्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलायी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज पेश किये जिसे शा. प० किया गया। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 9-12-21 को पेश हो।

9-12-21 उभय पक्ष ... अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर ... पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21-12-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

21-12-22 उभय पक्ष उपस्थित ... अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 3-2-22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

3.2.22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्षों ने पुनः बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 24-2-22 को पेश हो।

24-2-22 पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी भूमि 438 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सीड्यास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित उक्त भूमि में आने - जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड ... कारी
मांडल जि... भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी नं॰ 436 रकबा 02बीघा
01 लगायत 03 की आराजी नं॰ 436 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा की उत्तरी दिशा की मेड के सहारे सहारे
20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की
इस्तदुआ की। जब कि अप्रार्थीगण 01 लगायत 03
के अधिवक्ता जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र
को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की
बहस पर मनन किया गया। तथा तहसीलदार मांडल
द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया।
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A
रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।
अत:

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किया
जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम हरिपुरा पटवार
हल्का सीड़ियास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी
नम्बर 438 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि
पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे
दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध
नही है. उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु विपक्षी
सं॰ 1 लगायत 03 की आराजी नं॰ 436 रकबा 02
बीघा 01 बिस्वा भूमि मे से उत्तरी दिशा की मेड
के सहारे सहारे 14 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया
जाने का आदेश दिया जाता है, 14 फीट चौड़ाई के रास्ते
के रूप मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि
नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01
लगायत 03 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते
मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे।
और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए
नक्शे मे तरमीम किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति
तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा